

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका

जगदीश सिंह प्रसाद

क्र. - 21/2011/111

2011/111

सूची 14 फारम सं० 5651
बोर्ड फारम सं० 508

(बोर्ड के आदेश सं० 4116वीं ता० 12-8-11 में अनुमोदित)

(स्थायी रूप से रक्षणीय)

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण

(देखें नियम 127 अभिलेख हस्तक 1911)

.....विभाग

(पहला पन्ना)

केस नं० SK case no 82 वर्ष 2001-09 रजिस्टर सं०

इस्टेट परगना तौजी सं०

अर्जाकार -

प्रतिपक्षी



अधिनियम सं० वर्ष के अधीन

निर्णय की तारीख अभिलेखागार में प्राप्त होने की तारीख

क्र० सं०	कागज का वर्णन	किस तारीख को फाइल किया गया	पन्नों की संख्या	स्टाम्पों का मूल्य	कागज की श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
09.11.2019	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक-27.01. 2020 को रखें।	
27.01.2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक-25.03. 2020 को रखें।	
25.03.2020	लॉकडाउन एवं कोरोना के कारण न्यायालय स्थगित रखा गया।	
19.09.2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक-14.10. 2020 को रखें।	
14.10.2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक-28.12. 2020 को रखें।	
28.12.2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक-17.03. 2021 को रखें।	

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी के साथ
17.03.2021	लॉकडाउन एवं कोरोना कारण न्यायालय स्थगित रखा गया। भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका।	
14.08.2021	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक-25.09. 2021 को रखें। भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका।	
25.09.2021	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक-25.10. 2021 को रखें। भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका।	
25.10.2021	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक-27.11. 2021 को रखें। भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका।	
27.11.2021	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक-28.01. 2022 को रखें। भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका।	
28.01.2022	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक-22.02. 2022 को रखें। भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका।	

आदेश की क्रम सं० और तारीख	<u>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
22.2.22	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उभयपक्ष लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि उभयपक्ष की वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। फलस्वरूप वाद की कार्रवाई संचालित करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः उभयपक्ष की अभिरुचि के अभाव में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> 22-2-2022</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका।</p>	<p> 22-2-2022</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका।</p>